राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2982/2024

किशोर सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
3. निदेशक राज्य अपराध ब्यूरो, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.09.2024
आदेश की दिनांक : 27.09.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रवि कांत अग्रवाल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में पुलिस विभाग में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2015 को सेवानिवृत्ति के समय उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2015 को सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन दिनांक 06.01.2015 को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया है जिसमें अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 2 पर है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी ने वर्ष 2014–15 के पूरे वित्तीय वर्ष के लिए काम किया और उसकी सेवा में कोई अंतराल नहीं था, इसलिए दिनांक 01.07.2015 को देय लाभ अपीलार्थी को भुगतान किया जाना था, क्योंकि कोई भी लाभ जो किसी कर्मचारी को प्रदान किया जाना है, वह कर्मचारी द्वारा बिना किसी अंतराल के पूरा वित्तीय वर्ष पूरा करने या काम करने के बाद ही देय होता है। इसी विवाद पर माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 15692/2017 में विचार किया है जिसका शीर्षक पी. अय्यम्परूमल बनाम रजिस्ट्रार एवं अन्य दिनांक 15.09.2017 है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि वित्तीय वर्ष का लाभ उस कर्मचारी को दिया जाना चाहिए जिसने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए काम किया हो। इसी तरह के विवाद को माननीय न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12974/2023 में अपने

दिनांक 16.05.2024 के आदेश के माध्यम से सुलझा लिया है। (अनुलग्नक–2) विद्वान न्यायाधिकरण ने भी इसी तरह के मामले से संबंधित एक बार ऐसी अपील के संबंध में निर्णय दिया है, अपील संख्या 2678/2024 जिसका शीर्षक दयाराम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग से कई बार अनुरोध किया लेकिन उसके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया,

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी दिनांक 01.07.2015 की वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान किया जावें एवं समस्त परिणामी लाभ दिलावे जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य